Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले में बकरी पालन एवं इसका हितग्राहियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का आर्थिक अध्ययन

An Economic Study of Goat Farming and Its Economic Impact on Beneficiaries in Rewa District

शोध–निर्देशक
डॉ. कुमुद श्रीवास्तव
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

शोधार्थी
कोमल चन्द्र द्विवेदी
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा, जिला–रीवा (म.प्र.)

सारांश (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले के छः तहसीलों–रीवा, त्योंथर, सिरमौर, जवा, गंगेव एवं मनगंवा–में बकरी पालन के हितग्राहियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करता है। अध्ययन में 100 हितग्राहियों से प्राथमिक आँकड़े साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किये गये तथा विभिन्न सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करते हुए तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह प्रमाणित करते हैं कि बकरी पालन योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात् हितग्राहियों की औसत वार्षिक आय में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, म.प्र. बकरी पालन विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं AHIDF जैसी योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि बकरी पालन ने महिला सशक्तिकरण, प्रवासी श्रम में कमी तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया है।

मुख्य शब्द (Keywords)

बकरी पालन, आर्थिक प्रभाव, हितग्राही, रीवा जिला, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ग्रामीण आजीविका, आय वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, पशुधन विकास, मुद्रा योजना।

प्रस्तावना (Introduction)-

भारत कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुपालन से अपनी आजीविका अर्जित करती है। बकरी पालन को 'गरीबों की गाय' के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह सीमान्त, लघु एवं भूमिहीन किसानों के लिए सबसे सुलभ एवं कम लागत वाला पशुपालन व्यवसाय है। भारत में बकरियों की कुल संख्या लगभग 14.88 करोड़ है, जो विश्व में दूसरा स्थान रखती है।

मध्यप्रदेश का बघेलखण्ड अंचल, जिसमें रीवा जिला प्रमुख है, एक कृषि आधारित क्षेत्र है जहाँ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर रही है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि मजदूरी पर निर्भर है। विगत वर्षों में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बकरी पालन को बढ़ावा देने के प्रयास किये गये हैं। इन योजनाओं ने ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के नये अवसर प्रदान किये हैं। रीवा जिले में बकरी पालन से जुड़े हितग्राहियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, परन्तु इन योजनाओं के वास्तविक आर्थिक प्रभाव का व्यवस्थित अध्ययन अभी तक सीमित ही रहा है। इस शोध पत्र में उसी अभाव की पूर्ति का प्रयास किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य (Objectives)-

इस शोध पत्र के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं: प्रथम, रीवा जिले में बकरी पालन हितग्राहियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना। द्वितीय, बकरी पालन योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व एवं पश्चात् हितग्राहियों की आय में हुए परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तृतीय, विभिन्न सरकारी योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुँच एवं प्रभावशीलता का आकलन करना। चतुर्थ, बकरी

पालन से उत्पन्न रोजगार के अवसरों एवं जीवन-स्तर में हुए सुधार का विवेचन करना। पंचम, इस व्यवसाय के विस्तार हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्त्व (Significance)-

इस अध्ययन का महत्त्व अनेक आयामों में परिलक्षित होता है। रीवा जिले जैसे पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण आजीविका सुधार के प्रभावी तरीकों की पहचान नीति निर्माताओं के लिए आवश्यक है। यह शोध पत्र न केवल स्थानीय स्तर पर बकरी पालन की सफलता का मूल्यांकन करता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि किस प्रकार इस व्यवसाय ने सीमान्त परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन तथा पलायन रोकने में बकरी पालन की भूमिका का दस्तावेजीकरण क्षेत्रीय विकास नीति के लिए महत्त्वपूर्ण अवदान है। यह शोध भविष्य में समान क्षेत्रों में बकरी पालन योजनाओं के विस्तार हेतु एक सन्दर्भ बिन्दु के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध प्रविधि (Research Methodology)-

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया है। रीवा जिले की छः तहसीलों—रीवा, त्योंथर, सिरमौर, जवा, गंगेव एवं मनगंवा—से कुल 100 बकरी पालन हितग्राहियों का उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श चयन (Purposive Sampling) विधि से किया गया। प्रत्येक तहसील से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी तहसीलें वर्तमान में नवगठित मऊगंज जिले का भाग हैं, अतः उन्हें इस अध्ययन से बाहर रखा गया है।

आँकड़े संग्रह के लिए एक संरचित साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई जिसमें हितग्राहियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, योजना पूर्व एवं पश्चात् आय, रोजगार दिवस, बकरी संख्या, बिक्री, सरकारी सहायता तथा जीवन-स्तर से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित थे। क्षेत्र सर्वेक्षण जनवरी से मार्च 2025 के मध्य सम्पन्न हुआ। द्वितीयक आँकड़े पशुपालन विभाग, जिला पंचायत कार्यालय रीवा, एनएलएम पोर्टल एवं प्रकाशित शोध पत्रों से लिये गये हैं।

हितग्राहियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

किसी भी विकास योजना के प्रभाव को समझने के लिए उसके लाभार्थियों की पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। अध्ययन में शामिल 100 हितग्राहियों की जनसांख्यिकीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित सारणी-1 में प्रस्तुत है।

सारणी-1

हितग्राहियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

क्र.	विवरण	श्रेणी	हितग्राही (n=100)	प्रतिशत (%)
1	लिंग	पुरुष	62	62.00
		महिला	38	38.00
2	आयु वर्ग	18-30 वर्ष	22	22.00
		31-45 वर्ष	41	41.00
		46-60 वर्ष	28	28.00
		60 वर्ष से अधिक	9	9.00
3	शैक्षणिक स्तर	निरक्षर	18	18.00
		प्राथमिक	27	27.00
		माध्यमिक	34	34.00

		उच्च माध्यमिक एवं उससे ऊपर	21	21.00
4	जाति वर्ग	सामान्य	19	19.00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	38	38.00
		अनुसूचित जाति	26	26.00
		अनुसूचित जनजाति	17	17.00

उपर्युक्त सारणी-1 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन में शामिल 62 प्रतिशत हितग्राही पुरुष एवं 38 प्रतिशत महिलाएँ हैं, जो यह प्रदर्शित करता है कि बकरी पालन महिलाओं के लिए भी आय का एक महत्त्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। आयु वर्ग के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 31 से 45 वर्ष के बीच के हितग्राहियों की संख्या सर्वाधिक (41 प्रतिशत) है, जो यह संकेत देती है कि यह व्यवसाय मुख्यतः कार्यशील आयु वर्ग को आकर्षित करता है। 18-30 वर्ष आयु वर्ग में 22 प्रतिशत हितग्राही हैं, जो युवाओं की इस व्यवसाय में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। शैक्षणिक स्तर की दृष्टि से माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हितग्राही सर्वाधिक (34 प्रतिशत) हैं, जबकि 18 प्रतिशत हितग्राही निरक्षर हैं। यह तथ्य यह सिद्ध करता है कि बकरी पालन की शिक्षा सम्बन्धी बाधाएँ न्यूनतम हैं। जाति वर्ग के संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों का प्रतिशत सर्वाधिक (38 प्रतिशत) है, तत्पश्चात् अनुसूचित जाति (26 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जनजाति (17 प्रतिशत) का स्थान है, जो यह सिद्ध करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है।

तहसीलवार हितग्राहियों का वितरण-

अध्ययन क्षेत्र में छः तहसीलों से हितग्राहियों का चयन अनुपातिक आधार पर किया गया। तहसीलवार वितरण निम्नलिखित सारणी-2 में दर्शाया गया है।

सारणी-2

तहसीलवार हितग्राही वितरण (रीवा जिला)

क्र.	**तहसील**	**कुल बकरी पालक**	**चयनित हितग्राही**	**प्रतिशत (%)**
1	रीवा	312	20	20.00
2	त्योंथर	278	18	18.00
3	सिरमौर	256	16	16.00
4	जवा	241	16	16.00
5	गंगेव	228	15	15.00
6	मनगंवा	215	15	15.00
	कुल योग	1530	100	100.00

सारणी-2 से स्पष्ट है कि रीवा तहसील में सर्वाधिक 312 बकरी पालक पंजीकृत हैं, जहाँ से 20 हितग्राहियों का चयन किया गया। इसके पश्चात् त्योंथर (278 पालक, 18 हितग्राही), सिरमौर (256 पालक, 16 हितग्राही), जवा (241 पालक, 16 हितग्राही), गंगेव (228 पालक, 15 हितग्राही) तथा मनगंवा (215 पालक, 15 हितग्राही) का क्रम रहा। कुल 1530 पंजीकृत बकरी पालकों में से 100 का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया, जो लगभग 6.54 प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। रीवा तहसील में सर्वाधिक बकरी पालकों की उपस्थिति का प्रमुख कारण यहाँ का बेहतर बाजार संपर्क, पशु चिकित्सा सेवाओं की सुलभता तथा संस्थागत ऋण की आसान उपलब्धता है।

योजनावार हितग्राही एवं प्राप्त लाभ-

Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले में बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुँच का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

सारणी-3

योजनावार हितग्राही संख्या एवं औसत अनुदान

क्र.	योजना का नाम	हितग्राही संख्या	औसत अनुदान (₹)	प्रतिशत
1	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)	34	1,25,000	34.00
2	म.प्र. बकरी पालन विकास योजना	28	75,000	28.00
3	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)	22	50,000	22.00
4	AHIDF (पशुपालन अवसंरचना कोष)	16	2,00,000	16.00
	कुल / औसत	100	1,12,500	100.00

सारणी-3 का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के अन्तर्गत सर्वाधिक 34 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं और उन्हें औसतन 1,25,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। म.प्र. बकरी पालन विकास योजना से 28 हितग्राहियों को 75,000 रुपये की औसत सहायता मिली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत 22 हितग्राहियों ने 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा का लाभ उठाया। AHIDF के अन्तर्गत 16 हितग्राहियों को सर्वाधिक 2,00,000 रुपये का औसत अनुदान प्राप्त हुआ, जो इस योजना की व्यापकता एवं पूँजी-गहनता को प्रदर्शित करता है। कुल मिलाकर हितग्राहियों को प्राप्त औसत सरकारी सहायता 1,12,500 रुपये रही, जो बकरी पालन व्यवसाय की प्रारम्भिक पूँजी आवश्यकता की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

हितग्राहियों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण-

(क) आय पर प्रभाव-

बकरी पालन का सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हितग्राहियों की वार्षिक आय में वृद्धि के रूप में सामने आया है। तहसीलवार योजना पूर्व एवं योजना पश्चात् आय की तुलना सारणी-4 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी-4: तहसीलवार औसत वार्षिक आय की तुलना (योजना पूर्व एवं पश्चात्)

क्र.	**तहसील**	**योजना पूर्व औसत वार्षिक आय (₹)**	**योजना पश्चात् औसत वार्षिक आय (₹)**	**आय वृद्धि (₹)**	**वृद्धि %**
1	रीवा	38,400	74,200	35,800	93.23
2	त्योंथर	34,800	68,500	33,700	96.84
3	सिरमौर	32,600	64,800	32,200	98.77
4	जवा	31,200	62,400	31,200	100.00
5	गंगेव	29,800	60,600	30,800	103.36
6	मनगंवा	28,400	57,900	29,500	103.87
	औसत	32,533	64,733	32,200	99.00

सारणी-4 से स्पष्ट होता है कि बकरी पालन योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त सभी तहसीलों में हितग्राहियों की वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रीवा तहसील में योजना पूर्व औसत वार्षिक

आय 38,400 रुपये थी, जो योजना पश्चात् बढ़कर 74,200 रुपये हो गई, अर्थात् 93.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। त्योंथर तहसील में यह वृद्धि 96.84 प्रतिशत रही। सिरमौर में 98.77 प्रतिशत, जवा में 100 प्रतिशत तथा गंगेव एवं मनगंवा में क्रमशः 103.36 एवं 103.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी तहसीलों जैसे गंगेव एवं मनगंवा में आय वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, जो यह सिद्ध करता है कि बकरी पालन योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव सर्वाधिक वंचित क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है। समग्र रूप से देखें तो जिले में औसत आय वृद्धि लगभग 99 प्रतिशत रही, जो इन योजनाओं की सफलता का प्रबल प्रमाण है।

(ख) रोजगार एवं आजीविका पर प्रभाव-

बकरी पालन ने न केवल हितग्राहियों की आय में वृद्धि की है, बल्कि उनके रोजगार दिवसों में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इस सन्दर्भ में सारणी-5 में प्रमुख रोजगार संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-5

बकरी पालन का रोजगार एवं आजीविका पर प्रभाव

क्र.	**रोजगार से संबंधित संकेतक**	**योजना पूर्व (दिन/वर्ष)**	**योजना पश्चात् (दिन/वर्ष)**	**परिवर्तन (%)**
1	प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस	142	248	+74.65
2	महिलाओं का रोजगार में योगदान (दिन)	48	118	+145.83
3	बकरी पालन से प्रत्यक्ष रोजगार (घंटे/दिन)	2.1	5.4	+157.14
4	प्रवासी मजदूरी में कमी (हितग्राही)	67	29	-56.72

5	अतिरिक्त आय स्रोत विकसित करने वाले हितग्राही	14	58	+314.29

सारणी-5 से यह स्पष्ट होता है कि बकरी पालन ने रोजगार के संदर्भ में बहुआयामी सकारात्मक परिणाम उत्पन्न किये हैं। प्रति परिवार औसत रोजगार दिवस जो पहले 142 दिन प्रतिवर्ष थे, बकरी पालन के बाद बढ़कर 248 दिन हो गये, जो कि 74.65 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि है। महिलाओं के रोजगार में योगदान के संदर्भ में और भी उत्साहजनक परिणाम सामने आये हैं। योजना पूर्व महिलाओं को प्रतिवर्ष मात्र 48 दिन रोजगार मिलता था, जो बकरी पालन के उपरान्त 118 दिन हो गया, अर्थात् 145.83 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि। इससे यह स्पष्ट होता है कि बकरी पालन महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुआ है। प्रतिदिन बकरी पालन में लगने वाले घंटों में भी 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो व्यवसाय के विस्तार को इंगित करती है। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि बकरी पालन अपनाने के पश्चात् प्रवासी मजदूरी पर निर्भर हितग्राहियों की संख्या 67 से घटकर 29 रह गई, अर्थात् 56.72 प्रतिशत की कमी आई। यह तथ्य यह प्रमाणित करता है कि बकरी पालन ग्रामीण पलायन को रोकने में एक प्रभावकारी उपाय है।

निष्कर्ष (Conclusion)-

प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्ष यह स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं कि रीवा जिले में बकरी पालन न केवल एक आर्थिक गतिविधि है, अपितु यह ग्रामीण आजीविका परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। योजना पश्चात् हितग्राहियों की औसत वार्षिक आय में लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि यह सिद्ध करती है कि सरकारी योजनाओं एवं हितग्राहियों के परिश्रम का समन्वय उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर तहसीलों में आय वृद्धि का अधिक होना इस बात का प्रमाण है कि ये योजनाएँ विकास के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचने में सफल हो रही हैं। महिलाओं की रोजगार भागीदारी में 145.83 प्रतिशत की वृद्धि लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रवासी मजदूरी में 56.72 प्रतिशत की कमी यह दर्शाती है कि बकरी पालन ग्रामीण पलायन को रोकने में सक्षम है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, म.प्र.

Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 2 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

बकरी पालन विकास योजना, PMMY एवं AHIDF जैसी योजनाओं की हितग्राहियों तक प्रभावी पहुँच इन कार्यक्रमों की सफलता का आधार है। समग्रतः, बकरी पालन रीवा जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण परिवारों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सुझाव (Suggestions)-

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। बकरी पालन योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक शीघ्रता से पहुँचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं डिजिटल बनाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाये, जहाँ नस्ल सुधार, टीकाकरण, रोग प्रबन्धन एवं बाजार संपर्क पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाये। बकरी उत्पादों जैसे मांस, दूध, खाल एवं अन्य उत्पादों के लिए जिला स्तर पर एकीकृत विपणन केन्द्र स्थापित किये जायें ताकि हितग्राहियों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके। महिला स्वयं सहायता समूहों को बकरी पालन व्यवसाय से जोड़कर सामूहिक उद्‌यम को प्रोत्साहित किया जाये। पशु बीमा योजनाओं को अनिवार्य रूप से बकरी पालन योजनाओं के साथ संलग्न किया जाये ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी की स्थिति में हितग्राहियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो। मनगंवा एवं गंगेव जैसी दूरस्थ तहसीलों में पशु चिकित्सा सुविधाओं को और सुदृढ़ किया जाये।

संदर्भ सूची (References)-

1. भारत सरकार (2023). राष्ट्रीय पशुधन मिशन: वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2022-23. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली।
2. मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग (2023). म.प्र. बकरी पालन विकास योजना: दिशानिर्देश एवं क्रियान्वयन प्रतिवेदन। भोपाल।
3. जिला पंचायत कार्यालय रीवा (2024). बकरी पालन हितग्राही पंजिका 2023-24। रीवा।
4. शर्मा, रामेश्वर प्रसाद एवं तिवारी, सुनील (2021). मध्यप्रदेश में पशुपालन एवं ग्रामीण आजीविका। जर्नल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, 14(2), 45-62।

5. सिंह, अजय कुमार (2020). बकरी पालन एवं ग्रामीण विकास: बघेलखण्ड के सन्दर्भ में एक अध्ययन। भूगोल एवं विकास, 18(3), 112-128।

6. Mishra, A. K. & Tripathi, S. (2022). Economic Impact of Goat Farming on Rural Households in Central India. Indian Journal of Animal Sciences, 92(4), 378-385.

7. Patel, R. L. (2021). Livestock Development Programmes and Rural Poverty Alleviation: Evidence from Madhya Pradesh. Agricultural Economics Research Review, 34(1), 55-70.

8. NABARD (2023). Status Paper on Goat Farming in India. National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.

9. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (2023). 20वीं पशुगणना 2019: म.प्र. राज्य प्रतिवेदन। भारत सरकार।

10. Verma, S. C. & Yadav, P. (2020). Women Empowerment through Goat Husbandry in Vindhyan Region. Journal of Social Development, 11(2), 88-102.